



प्रेस नोट
जनपद सीतापुर

20,000/- रू0 के इनामिया सहित गैंगेस्टर के चार वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सदरपुर 20,000/- के इनामिया गैंगेस्टर बाबूराम लोनिया तथा थाना हरगांव व थाना थानगांव द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित क्रमशः तीन अभियुक्तों 1.रंजीत कुमार 2.सूरज कुमार व 3.भद्रे उर्फ सिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत विवरण निम्न है-

थाना सदरपुर

थाना सदरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.02.2021 को थाना सदरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 214/20 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 20,000/- रू0 के इनामिया एवं जिला बदर अभियुक्त बाबूराम लोनिया पुत्र मैकू लोनिया निवासी ग्राम शिवपुर देवरिया जनपद सीतापुर को एक अदद देशी अध्धी व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20,000/- रू0 का इनाम घोषित किया गया था। शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 36/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्यवाही उपरांत अभियुक्त बाबूराम लोनिया उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

- बाबूराम लोनिया पुत्र मैकू लोनिया निवासी ग्राम शिवपुर देवरिया जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना सदरपुर:-

1. प्रभारी निरीक्षक रनवीर सिंह
2. उ0नि0 श्री उमानाथ यादव

3. हे0का0 उमेश सोनकर
4. हे0का0 मनोज कुमार
5. का0 चन्द्रभान
6. का0 रावेन्द्र पटेल
7. का0 योगेश कुमार

अभियुक्त बाबूराम लोनिया का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 145/05 धारा 459/411 भा.द.वि थाना सदरपुर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 75/08 धारा 458 भा.द.वि थाना सदरपुर सीतापुर
3. मु0अ0सं0 13/18 धारा 457/380/411 भा.द.वि थाना सदरपुर सीतापुर
4. मु0अ0सं0 147/18 धारा 401 भा.द.वि थाना सदरपुर सीतापुर
5. मु0अ0सं0 174/18 धारा 307/460/411 भा.द.वि थाना सदरपुर सीतापुर
6. मु0अ0सं0 188/18 धारा 457/380/411 भा.द.वि थाना सदरपुर सीतापुर
7. मु0अ0सं0 268/18 धारा 41/413 भा.द.वि थाना सदरपुर सीतापुर
8. मु0अ0सं0 333/18 धारा 457/380/411 भा.द.वि थाना सदरपुर सीतापुर
9. मु0अ0सं0 187/19 धारा 380/411 भा.द.वि थाना महमूदाबाद सीतापुर
10. मु0अ0सं0 62/20 धारा 8/21 एनडीपीएसएक्ट थाना सदरपुर सीतापुर
11. मु0अ0सं0 214/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना सदरपुर सीतापुर
12. मु0अ0सं0 निल/20 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सदरपुर सीतापुर
13. मु0अ0सं0 निल/20 धारा 3(1)गुण्डा अधिनियम थाना सदरपुर सीतापुर
14. मु0अ0सं0 36/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना सदरपुर सीतापुर
15. मु0अ0सं0 37/21 धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना सदरपुर सीतापुर

थाना सदरपुर जनपद-सीतापुर

कार्यालय



थाना हरगांव

थाना हरगांव पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.02.2021 को मु0अ0सं0 71/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना हरगांव जनपद सीतापुर में वांछित अभियुक्तगण 1.रंजीत कुमार पुत्र श्रीपाल 2.सूरज पुत्र तौलेराम सर्व निवासीगण ग्राम वनिका थाना खीरी जनपद खीरी को हरगांव-खीरी बॉर्डर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तगण उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी हैं जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित करते हैं। अभियुक्त की संपत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. रंजीत कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम वनिका थाना खीरी जनपद खीरी।
2. सूरज पुत्र तौलेराम निवासी ग्राम वनिका थाना खीरी जनपद खीरी।

पुलिस टीम थाना हरगांव:-

1. प्रभारी निरीक्षक ओ.पी. तिवारी
2. व0उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार मिश्रा
3. का0 आदेश कुमार
4. का0 रंजीत चाहर
5. का0 ओम प्रकाश
6. का0 रोहित सिंह

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 281/20 धारा 380/511 भादवि थाना हरगांव सीतापुर
2. मु0अ0सं0 582/20 धारा 394/511 भादवि थाना हरगांव सीतापुर
3. मु0अ0सं0 71/21 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम थाना हरगांव सीतापुर

थाना थानगांव

थाना थानगांव द्वारा दिनांक 14.02.2021 को मु0अ0सं0 01/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना थानगांव जनपद सीतापुर में वांछित अभियुक्त भद्रे उर्फ सिराजुद्दीन पुत्र जाहिद निवासी ग्राम बजरंगगढ़ मजरा तरसेवरा थाना थानगांव जनपद सीतापुर को तरसेवरा मोड़ के पास से एक अदद अवैध देशी तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त एक अभ्यस्त अपराधी है जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गोवध जैसे अपराध कारित करता है। अभियुक्त के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता-

- भद्रे उर्फ सिराजुद्दीन पुत्र जाहिद निवासी ग्राम बजरंगगढ़ मजरा तरसेवरा थाना थानगांव जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना थानगांव:-

1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह
2. हे0का0 महेशपाल
3. का0 इरशाद

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 307/20 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 व 7 CLA एक्ट थाना थानगांव सीतापुर
2. मु0अ0सं0 01/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना हरगांव सीतापुर
3. मु0अ0सं0 56/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना थानगांव सीतापुर

थाना थानगाँव

कालाजहा

मो. 9454 484269

जनपद - सीतापुर

हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर

